न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
अलवर [राज०]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
25.11.20	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी सं० 1/2 व 1/9 की ओर से सर्व श्री ओमप्रकाश चौधरी एड० व सतीश कुमावत एड० ने अपना वकालतनामा पेश किया, जो शामिल पत्रावली है। P.O. सा० अवकाश पर है। अतः पत्रावली वास्ते बहस दि० 30.12.20 को पेश हो।
30.12.20	अधिष्ठाता भू-प्रबन्ध अधिकारी/राजस्व अपील अधिकारी आज अवकाश पर हैं। अतः पत्रावली पूर्ववत् वास्ते बहस दिनांक 10.2.21 को पेश हो।
10.2.21	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। बहस हेतु अवसर चाहते हैं। पत्रावली वास्ते बहस दि० 11.2.21 को पेश हो।
11.2.21	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 12.2.21 को पेश हो।
12.2.21	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण निर्णय सुनाया नहीं जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 17.2.21 को पेश हो।
17.2.21	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रस्तुत हुई। विद्वान वकील प्रार्थी अपीलांट ने अपने प्रा. पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिये कि पत्रावली रेस्पो. की तलबी हेतु नियत थी,

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
अलवर [राज०]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	
	अपीलांट सं. 1/1 फजरु एवं तत्कालीन वकील अपीलांट ने अदालत में हाजा में एक प्रा-पत्र साजकाज होकर पेश कर दिया कि पक्षकारान में राजीनामा हो गया है और अपील चलाना नहीं चाहते हैं। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि कोई राजीनामा नहीं हुआ है और न ही अपील को Not Press में खारिज कराने में हमारी सहमति थी। हम अपीलांट अपनी अपील को मेरुकियती से चलाना चाहते हैं। अतः यह प्रा-पत्र स्वीकार किया जावे।	
	जवाब में विद्वान अप्रार्थी रेस्पो. का कथन है कि अपील Not Press में खारिज कराई गई है। अपीलांट नं. 1/1 एवं इनके वकील के हस्ताक्षर हैं। इसलिये सभी की सहमति मानी जावेगी। अतः प्रा. पत्र खारिज किया जावे।	
	हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया। अपील को Not Press में खारिज कराने बाबत जो प्रा. पत्र दिया था, उस पर केवल अपीलांट नं. 1/1 एवं वकील के हस्ताक्षर हैं। कानूनन सभी अपीलांटस की	

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर [राज०]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	
	सहमति होनी चाहिये। ऐसी स्थिति में यह प्रा० पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मूल अपील ~~पत्र~~ को पुनः नम्बर पर लेने के आदेश दिये जाते है। मूल अपील में कार्यवाही शुरू हो। प्रा० पत्र पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

हस्ताक्षर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर